राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक: F26(4)( )ECCE-Policy/ICDS/2014/ 93585-650 जयपुर दिनांक : 15-7-16

जिला कलेक्टर
समस्त

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद कार्यालय,
समस्त

विषयः–ईसीसीई गतिविधियों (ECCE Activities) को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए यूनिसेफ के सहयोग से पायलेट प्रोजेक्ट हेतु प्रत्येक ब्लॉक में एक आदर्श ईसीसीई सेक्टर के चयन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (Early Chilhood Care and Education) को प्रभावी बनाने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक परियोजना में से एक सेक्टर को "आदर्श ईसीसीई सेक्टर" के रूप में विकसित किया जाए। इस हेतु तैयार किये गये पायलेट प्रोजेक्ट की कार्ययोजना निम्नानुसार है :–

1. सभी जिलों से प्रत्येक परियोजना में से एक सेक्टर को "आदर्श ईसीसीई सेक्टर" के रूप में चयनित किया जायेगा। चयन का आधार पर्यवेक्षक का अनुभवी, योग्य व दक्ष होना एवं केन्द्र पर बच्चों की नियमित उपस्थिति हो।
2. "आदर्श ईसीसीई सेक्टर" की सभी आंगनबाडी केन्द्रों पर आने वाले समस्त बच्चों के उपयोग हेतु निम्न शाला पूर्व शिक्षण सामग्री (Pre-School Education Kit) उपलब्ध करवायी जानी है :–
   (a) प्री–स्कूल गतिविधि पुस्तिका (Activity book)– यह पुस्तिका प्रत्येक बच्चे के लिए एक होगी, जिसमें बच्चे विकास के विभिन्न आयामों पर कार्य करेंगे।
   (b) आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु प्री स्कूल गतिविधि मार्गदर्शिका (Guide book), – इस पुस्तिका में बच्चों से करवायी जाने वाली गतिविधियों का उल्लेख होगा।
   (c) आंकलन प्रपत्र (Assessment Cards) – विकास के पांचों आयामों में बच्चों की प्रगति को जांचने के लिए त्रैमासिक मूल्यांकन पत्रक भी तैयार किया जायेगा।
3. विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से समस्त उपनिदेशकों एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों का आमुखीकरण होगा।
4. पायलेट प्रोजेक्ट को कार्य क्षेत्र में लागू करने से पूर्व चयनित "आदर्श ईसीसीई सेक्टर" की पर्यवेक्षकों का यूनिसेफ के सहयोग से सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। उपरोक्त प्रशिक्षित पर्यवेक्षक द्वारा सेक्टर की आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

5. पर्यवेक्षक के मार्गदर्शन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शिक्षण अधिगम्य सामग्री के द्वारा अपने–अपने केन्द्रों पर पायलेट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत गतिविधि पुस्तिका (Activity book) के माध्यम से शाला पूर्व शिक्षा प्रदान करेंगी।
6. पायलेट प्रोजेक्ट के दौरान विभिन्न आयामों पर बच्चों की प्रगति का आंकलन प्रपत्र द्वारा जांचा जायेगा।
7. इस पायलेट प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के दौरान प्राप्त परिणामों/सुझावों के अनुसार प्री–स्कूल गतिविधि पुस्तिका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मॉडयूल आदि में संशोधन किए जाएंगे एवं तत्पश्चात् इसे अन्य परियोजना/सेक्टर में लागू किया जाएगा।
8. जब इसे अन्य परियोजनाओं में लागू किया जाएगा तो आदर्श ईसीसीई सेक्टर की महिला पर्यवेक्षक, अन्य सेक्टर की पर्यवेक्षकों व कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए मास्टर ट्रेनर का कार्य करेंगी।

अतः उपरोक्तानुसार पायलेट प्रोजेक्ट हेतु अपने जिले में स्थित प्रत्येक परियोजना में से एक सेक्टर का चयन कर "आदर्श ईसीसीई सेक्टर" से संबंधित सूचना संलग्न प्रपत्र में भरकर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें, जिससे पायलेट प्रोजेक्ट की क्रियान्विति कराई जा सके।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: F26(4)( )ECCE-Policy/ICDS/2014/ 93651-685 जयपुर दिनांक : 15-7-16

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. समस्त उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार सूचना **यह सूचना 20 जुलाई, 2016, शाम 05.00 बजे तक ई–मेल (maheshsharmagor@gmail.com) पर भी भिजवाना सुनिश्चित करावें।**
2. एसीपी (उप निदेशक) निदेशालय, को कम्प्यूटर पर अपलोड कर विभाग की वैबसाईट पर डालने हेतु।
3. श्रीमती सुलगना रॉय, शिक्षा विशेषज्ञ, यूनिसेफ

प्रभारी अधिकारी (ईसीसीई)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

List of Adarsh ECCE Sector identified for the Pilot Project

SNo.	Project Name	Proposed Adarsh ECCE Sector name	Number of Aanganwadi Centers in proposed Adarsh ECCE Sector	Number of enrolled children in proposed Adarsh ECCE Sector (age 3 to 6)	Name of Supervisor	Mobile number of Supervisor	Email Id of Supervisor
Dist. - Name--------------------------							